संख्या-क0नि0-7-684(1)/11-2013-700(446)/13

प्रेषक

बी0एम0मीना

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 9 सितम्बर,2013

विषय-मिथ्या अभिलेखों, साक्ष्यों तथा छद्मवेश में पंजीकृत विलेखों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

महोदय,

शासनादेश संख्या-क0नि0-7-684/11-2013-700(446)/13 दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा विलेख का पंजीकरण रद्द करने का प्राविधान किया गया है, परन्तु शासनादेश के प्रस्तर-4 के अनुसार सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा पारित आदेश की प्रविष्टि अनुक्रमणिका- II में प्रश्नगत विलेख के सम्मुख किये जाने का प्राविधान है, जबकि शासनादेश की मूल भावना के अनुसार सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा पारित आदेश का उल्लेख सम्बन्धित विलेख पर किया जाना आवश्यक है।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-क0नि0-7-684/11-2013-700(446)/13 दिनांक 13 अगस्त,2013 के प्रस्तर-4 के अन्त में शब्द और अंक कि विलेख पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 की धारा 60 के अन्तर्गत अंकित प्रमाण पत्र के नीचे यह प्रविष्टि की जायेगी कि “सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संख्या- के अनुसार दस्तावेज का पंजीकरण रद्द (annulled) किया जाता है तथा ऐसे

विलेख का वही विधिक प्रभाव होगा जैसा कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 की धारा 49 में अपंजीकृत दस्तावेजों का होता है” बढ़ा दिये जायेंगे।

भवदीय

ह0/-

(बी0एम0मीना)

प्रमुख सचिव।

संख्या-क0नि0-7-684(1)/11-2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

(1) महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर/मुख्यालय को इस आशय से कि वह समस्त सम्बन्धितो को अनुपालन हेतु निर्देशत करने का कष्ट करें ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त।

(बी0एम0मीना)

प्रमुख सचिव।